रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 1974/ज्येष्ठ 7, 1896
No. 243] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 1974/JYAISTHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 28th May 1974

S.O. 327(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 1072, dated the 6th March, 1971, the Management of the industrial undertaking known as Messrs Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the 6th day of March, 1971;

And whereas the Government of India is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in a scheduled industry, namely, Railway Rolling Stocks;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 18-FB of the said Act, the Central Government hereby declares that all or any of the rights, privileges, obligation and liabilities accruing or arising thereunder shall remain suspended from the date of issue of this Order.

The Order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 1/53/71-HM-III]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1974

का० आ० 327 (अ) —यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1027 तारीख 6 मार्च, 1971 द्वारा मैसर्स ब्रेथ ह्वाइट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 6 मार्च, 1971 से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः भारत सरकार का समाधान हो गया है कि जनसाधारण के हित में अनुसूचित उद्योग, अर्थात् रेलवे रौलिंग स्टाक की माला के उत्पादन में कमी रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी या उनमें से कोई अधिकार, विशेष धिकार, बाध्यता और दायित्व इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से निलम्बित रहेगा ;

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि पर्यन्त प्रवृत्त रहेगा ।

[सं० 1/53/71-एच एम-III]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974